

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या : UPFS/2025/147368/BAL/BALLIA/616/CFO

दिनांक : 25-02-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL पता 790 MI, KIRIHARAPUR, BALLIA तहसीत - BELTHRA ROAD प्लॉट एरिया 8250 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1901.67 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL	3	0	11.86 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0वी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 26-02-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री GIRDHAR YADAV के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0वी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 26-02-2025 से 26-02-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : उ०प्र० अग्नि तथा आपात सेवाये अधिनियम 2022 के धारा-26(5) दिनांक 13-12-2022 के तहत भवन से स्थापित अग्निशमन उपकरणों की रख-रखाव एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र किसी trained एवं qualified एजेंसी/व्यक्ति द्वारा वर्ष में दो बार (माह जनवरी व जुलाई) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक माह फायर mock drill, स्टाफ की फायर ट्रेनिंग, documentation मानकों के अनुसार करना आवश्यक होगा। भवन का अधिभोग अधवा ढाचागत परिवर्तन करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा उक्त शर्तों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबंधक की होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 26-02-2025
स्थान : BALLIA


Manager
Little Flower Children School
Kiriapur-Ballia


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

DHIRENDRA SINGH YADAV

68020C807A2725EC2BA065258E114F92E7C2B92A

26-02-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.